17/11/25

उभय पक्ष अंतिम बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन
किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखवाया
जाकर शामिल किया गया। उद्घोषित किया जाता है। निर्णय
से पृथक है।

निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2025/377

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai
Prakash Meena
Date: 2025.11.26 11:46:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

पीठासीन अधिकारी: भरत जयप्रकाश मीना आई. ए. एस.

प्रकरण सं0 187/2025 GCMS 2025/377 दायर दिनांक 17–06–2025

1– मिटूराम पुत्र श्री अमीरचन्द
2–केवलराम पुत्र श्री अमीरचन्द
3–पप्पूराम पुत्र श्री अमीरचन्द
4–गुरमुख राम पुत्र श्री अमीरचन्द
} अकवाम बावरी साकिनान बुधरवाली तहसील सादुलशहर जिला श्री गंगानगर राज0

——— वादीगण

बनाम

1– अमीचन्द उर्फ अमीरचल्द पुत्र तुलछी जाति बावरी निवासी बुधरवाली तहसील सादुलशहर (फौत)
1/1– जीवनी पुत्री अमीचन्द उर्फ अमीरचन्द पत्नी किशनचन्द जाति बावरी साकिन बुधरवाली (फौत)
1/1/1– गुलशन कुमार पुत्र श्री किशनचन्द
1/1/2– गुरपाल राम पुत्र श्री किशनचन्द
1/2–फुलचन्ती पुत्री अमीचन्द उर्फ अमीरचन्द
1/3–सीताराम पुत्र श्री अमीचन्द उर्फ अमीरचन्द
} अकवाम बावरी साकिनान बुधरवाली तहसील सादुलशहर जिला श्री गंगानगर राज0
1/4–नूराबाई पुत्री अमीचन्द उर्फ अमीरचन्द पत्नी पप्पूराम जाति बावरी साकिनान बुधरवाली (फौत)
1/4/1–गुरपालराम पुत्र श्री पप्पूराम
1/4/2– धर्मपाल पुत्र श्री पप्पूराम
} अकवाम बावरी साकिनान बुधरवाली तहसील सादुलशहर जिला श्री गंगानगर राज0
2–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ जिला श्री गंगानगर

——— प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955

उपस्थित :–

1–श्री त्रिलोक चन्द चापल , श्री जसवीर सिंह बराड़ अभिभाषक वादीगण
2– श्री अर्जुन कुमार अभिभाषक प्रतिवादी सं0 1/1/1 ता 1/1/2, 1/2, 1/4/1 ता 1/4/2
3– पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ ।

–:– निर्णय –:– दिनांक :– 17.11.2025

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई । अभिभाषकगण पक्षकारान एवं पैरोकार राज उपस्थित । पत्रावली का अवलोकन किया । प्रकरण के सक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिवादी सं0 1 के नाम से भूमि वाके चक 3 बी के एम तहसील सूरतगढ के प0न0 120/149 मु0न0 42 के किला न0 1 ता 25/6.325 है0 खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज है । प्रतिवादी सं0 1 की मृत्यु हो चुकी है । वादीगण एवं प्रातिवादीगण प्रतिवादी सं0 1 के विधिक वारिस है । जैरवाद भूमि वादीगण को मुताबिक बंटवारा बहिस्सा बराबर प्राप्त हुई है । जैरवाद भूमि मुताबिक बंटवारा वादीगण के नाम दर्ज न होने से वादीगण को पानी की बारी , डिग्गी निर्माण , रकम अदायगी , बैंक ऋण एवं अन्य सरकारी सुविधाओ का लाभ उठाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है । इस कारण वादीगण अपने हक व हिस्सा की घरू बंटवारा व फैमिली सेटलमेंट के आधार पर कब्जा काश्त अनुसार आराजी का राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करवा कर खाता अलग की घोषणा करवाने के व प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन करवाने के अधिकारी है । इसलिए वादीगण खातेदारी भूमि 6.325 है0 भूमि की घोषणा करवाने के कानूनन हकदार है । इसलिए वादीगण प्रतिवा[illegible] के नाम 6.325 है0 भूमि को कलमजन कर वादीगण को बहिस्सा बराबर खा[illegible] का निवेदन किया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.11.26 11:46:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये साधारण एवं रजिस्टर्ड समन से तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1/1/1 ता 1/1/2, 1/2, 1/4/1 ता 1/4/2 जरिये अभिभाषक अर्जुन कुमार एवं पेरोकार राज उपस्थित हुये। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में प्रतिवादी सं0 1/1/1 ता 1/1/2, 1/2, 1/4/1 ता 1/4/2 द्वारा इकबाल जबाव दावा पेश करने पर कोई आपत्ति न होने व आपसी सहमति होने के कारण तनकी कायम नही की गई।

इसके पश्चात वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1/1/1 ता 1/1/2, 1/2, 1/4/1 ता 1/4/2 के अभिभाषकगण एवं पेरोकार राज की बहस सुनी गई । जिसमें वादीगण के विद्वान अभिभाषक ने लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके प्रतिवादी सं0 1 के नाम से भूमि वाके चक 3 बी के एम तहसील सूरतगढ के प0न0 120/149 मु0न0 42 के किला न0 1 ता 25/ 6.325 है0 खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज है । प्रतिवादी सं0 1 की मृत्यु हो चुकी है । उक्त भूमि में वादीगण वं प्रतिवादी सं0 1/1/1 ता 1/4/2 का 1/9 हिस्सा के कानूनी वारिसान है । जैरवाद भूमि वादीगण को मुताबिक बंटवारा बहिस्सा बराबर प्राप्त हुई है। जैरवाद भूमि वादीगण अपने हक व हिस्सा की घरू बंटवारा व फैमिली सेटलमेंट के आधार पर कब्जा काश्त अनुसार आराजी का राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करवा कर खाता अलग की घोषणा करवाने के व प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन करवाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण ने दिनांक 10–07–2025 को इकबाल जबाब दावा प्रस्मतुत कर वादीगण द्वारा प्रस्तत वाद–पत्र में सहमति प्रदान की है । जिसमेंव ादीगण द्वारा प्रस्तत वाद–पत्र की घोषणा की जा सके एव डिक्री जारी की जा सके । इसलिए जैरवाद भूमि से प्रतिवादी सं0 1 के नाम 6.325 है0 भूमि से प्रतिवादी नं0 1 का नाम कलमजन कर वादीगण को बहिस्सा बराबर खातेदार कृषक घोषित किये जाने का निवेदन किया ।

प्रतिवादी सं0 1/1/1 ता 1/1/2, 1/2, 1/4/1 ता 1/4/2 के अभिभाषक ने इकबाल जबाब दावा पेश निवेदन किया कि प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज 6.325 है0 भूमि को कलमजन कर वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई उज्र व एतराज नही होगा । प्रतिवादी सं0 1/1/1 ता 1/1/2, 1/2, 1/4/1 ता 1/4/2 ने इकबाल जबाब दावा पेश कर दावा डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की ।

पक्षकारान के तर्क सुने जाने के उपरान्त तर्को के परिपेक्ष्य में पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया व मनन किया गया । प्रतिवादी सं0 1 के नाम वर्तमान जमाबन्दी में भूमि चक 3 बी के एम तहसील सूरतगढ के प0न0 120/149 मु0न0 42 के किला न0 1 ता 25/ 6.325 है0 खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है । प्रतिवादी सं0 1 के वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1/1/1 ता 1/1/2, 1/2, 1/4/1 ता 1/4/2 विधिक वारिस है । जैरवाद भूमि वादीगण को घरू बंटवारा में मिली है । प्रतिवादी सं0 प्रतिवादी सं0 1/1/1 ता 1/1/2, 1/2, 1/4/1 ता 1/4/2 के द्वारा इकबाल जबाब दावा प्रस्तुत कर उक्त रकबा की सहमति दी गई । इसलिए प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज 6.325 है0 भूमि से प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन कर वादीगण के नाम बहिस्सा बराबर खातेदार कृषक घोषित किया जाना उचित समझते है।

अतः उक्त विवेचन अनुसार दावा स्वीकार किया जाकर जैरवाद रकबा वाके **चक 3 बी के एम तहसील सूरतगढ के प0न0 120/149 मु0न0 42 के किला न0 1 ता 25/ 6.325 है0 खातेदारी भूमि से प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन कर वादीगण के नाम बहिस्सा बराबर खातेदार कृषक घोषित किये जाने का आदेश दिये जाते है ।** जमाबन्दी में इसी [illegible] अंकन करने के आदेश दिये जाते है। डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकार अपना [illegible] तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.11.2025 को खुले [illegible] लय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.11.26 11:46:55 IST
Reason: SelfAttested

(भरत जयप्रकाश मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
(राजस्व) सूरतगढ

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

(आदेश 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

डिकी बमुकद्दम इश्तदाई

अज अदालत–सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी , सूरतगढ जिला श्री गंगानगर
बइजलास – श्री भरत जयप्रकाश मीना आई. ए. एस.

अनवान :

1– मिठूराम पुत्र श्री अमीरचन्द
2–केवलराम पुत्र श्री अमीरचन्द
3–पप्पूराम पुत्र श्री अमीरचन्द
4–गुरमुख राम पुत्र श्री अमीरचन्द
} अकवाम बावरी साकिनान बुधरवाली तहसील सादुलशहर जिला श्री गंगानगर राज0

———— वादीगण

बनाम

1– अमीचन्द उर्फ अमीरचल्द पुत्र तुलछी जाति बावरी निवासी बुधरवाली तहसील सादुलशहर (फौत)
1/1– जीवनी पुत्री अमीचन्द उर्फ अमीरचन्द पत्नी किशनचन्द जाति बावरी साकिन बुधरवाली (फौत)
1/1/1– गुलशन कुमार पुत्र श्री किशनचन्द
1/1/2– गुरपाल राम पुत्र श्री किशनचन्द
1/2–फुलचन्ती पुत्री अमीचन्द उर्फ अमीरचन्द
1/3–सीताराम पुत्र श्री अमीचन्द उर्फ अमीरचन्द
} अकवाम बावरी साकिनान बुधरवाली तहसील सादुलशहर जिला श्री गंगानगर राज0
1/4–नूराबाई पुत्री अमीचन्द उर्फ अमीरचन्द पत्नी पप्पूराम जाति बावरी साकिनान बुधरवाली (फौत)
1/4/1–गुरपालराम पुत्र श्री पप्पूराम
1/4/2– धर्मपाल पुत्र श्री पप्पूराम
} अकवाम बावरी साकिनान बुधरवाली तहसील सादुलशहर जिला श्री गंगानगर राज0
2–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ जिला श्री गंगानगर

——— प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188, आर. टी. ए. मुकदमा नं0 187 वर्ष 2025 GCMS 2025/377 यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर अभिभाषक वादीगण श्री त्रिलोकचन्द चापल एवं श्री जसवीर सिंह बराड़, प्रतिवादी नं0 1/1/1 ता 1/1/2, 1/2, 1/4/1 ता 1/4/2 अभिभाषक अर्जुन कुमार एवं राज पैरोकार तहसीलदार सूरतगढ के पेश होने पर हुक्म दिया जाता है । वाद वादीगण निम्न प्रकार से आदेशित कर डिकी जारी करने के आदेश प्रदान किये जाते है :–

चक 3 बी के एम तहसील सूरतगढ के प0न0 120/149 मु0न0 42 के किला न0 1 ता 25/6.325 है0 खातेदारी भूमि से प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन कर वादीगण के नाम बहिस्सा बराबर खातेदार कृषक घोषित किये जाने का आदेश दिये जाते है ।

नोज ....×..................मुबलिग .....×..........बाबत ....×............खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशहर ....×...............फसदो की पालना.........×...........आज की तारीख से तारीख वसुलया वो तक की अदा करे ।

बसिन्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 17.11.2025 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.11.26 11:46:55 IST
Reason: SelfAttested

(भरत जयप्रकाश मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ (राज.)